एम.आर.एफ. लिमिटेड

बनाम

केंद्रीय उत्पाद शुल्क संग्राहक, मद्रास

27 जनवरी, 2004

[पी. वैंकटरामा रेड्डी और एस.एच. कपाडिया, न्यायमूर्तिगण]

केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं नमक अधिनियम, 1944; धारा 35-एल तथा 11(बी)(3) / केंद्रीय उत्पाद शुल्क शुल्क-सारणी अधिनियम; उप-शीर्षक 4005.00 तथा 4006.90 / केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944; नियम 233बी / अधिसूचना संख्या 377/86:

वर्गीकरण—स्वीकृत वर्गीकरण सूची के अनुसार उप-शीर्ष 4006.90 के अंतर्गत वल्कनीकरण घोल पर उत्पाद शुल्क का भुगतान—राजस्व विभाग द्वारा कारण बताओ सूचना जारी कर उप-शीर्ष 4005.00 के अंतर्गत पुनर्वर्गीकरण के आधार पर उत्पाद शुल्क की मांग—निर्धारिती द्वारा उक्त राशि का विरोध के साथ भुगतान—राजस्व विभाग द्वारा मांग की पुष्टि—अपील पर, अपीलीय प्राधिकारी द्वारा आदेश पलटा गया—धनवापसी के दावे—एक दावे को छोड़कर सभी दावे इस आधार पर स्वीकार किए गए कि एक दावे में शुल्क की अंतर राशि का भुगतान नियम 233बी के अनुसार विरोध के साथ नहीं किया गया था—अपीलीय प्राधिकारी द्वारा अपीलें खारिज की गईं तथा उसके बाद अधिकरण द्वारा भी खारिज की गईं—अपील पर, निर्णय दिया गया: चूँकि पुनर्वर्गीकरण विवाद में निर्धारिती अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष सफल हुआ था, इसलिए अधिनियम की धारा 11बी(3) के अनुसार वह शुल्क की अंतर राशि की धनवापसी का दावा करने का हकदार है—राजस्व विभाग को निर्देश दिया गया कि वह शुल्क की अंतर राशि उस पर देय ब्याज सहित वापस करे—आवश्यक निर्देश जारी किए गए।

अपीलकर्ता-निर्धारिती "वल्कनीकरण घोल" का निर्माण करता था। उसने इस उत्पाद के संबंध में उप-शीर्ष 4006.90 के अंतर्गत एक वर्गीकरण सूची प्रस्तुत की। इस सूची को

राजस्व विभाग द्वारा स्वीकृत कर दिया गया। बाद में विभाग ने निर्धारिती को संशोधित वर्गीकरण सूची प्रस्तुत करने के लिए कहा, क्योंकि विभाग के अनुसार यह उत्पाद उप-शीर्ष 4005.00 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाने योग्य था, और इस आधार पर उसे संबंधित अवधि के लिए शुल्क की अंतर राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया गया। विभाग ने उसे एक कारण बताओ सूचना भी जारी की। निर्धारिती ने चालान पर विरोध अंकित करके शुल्क की अंतर राशि का भुगतान विरोध के साथ किया। बाद में उसने एक औपचारिक विरोध-पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें कहा गया कि यह उत्पाद उप-शीर्ष 4005.00 के अंतर्गत, अधिसूचना संख्या 377/86 में प्रदत्त छूट के साथ पढ़े जाने पर, वर्गीकृत किया जाने योग्य था। तथापि, विभाग ने उसके दावे को अस्वीकार कर दिया और मांग की पुष्टि कर दी। अपील किए जाने पर अपीलीय प्राधिकारी ने उस आदेश को पलट दिया। परिणामस्वरूप, निर्धारिती ने 3 धनवापसी दावे प्रस्तुत किए। एक धनवापसी दावे को छोड़कर शेष सभी दावों को स्वीकार करते हुए सहायक संग्राहक ने यह निर्णय दिया कि संबंधित दावे में शुल्क का भुगतान "केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियमों के नियम 233(बी) के अनुसार विरोध के साथ" नहीं किया गया था। इससे व्यथित निर्धारिती द्वारा दायर अपीलों को अपीलीय प्राधिकारी ने तथा उसके बाद केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क एवं स्वर्ण (नियंत्रण) अपीलीय अधिकरण ने भी खारिज कर दिया। फलस्वरूप, यह वर्तमान अपील प्रस्तुत की गई है।

अपीलकर्ता-निर्धारिती की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि शुल्क की अंतर राशि का भुगतान निर्धारिती द्वारा चालान पर इस आशय का समर्थन अंकित करके विरोध के साथ किया गया था तथा इसके पश्चात विभाग को एक विरोध-पत्र भी भेजा गया था; कि चूँकि केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं शुल्क-तालिका अधिनियम के उपयुक्त उप-शीर्ष के अंतर्गत शुल्क देयता से संबंधित विवाद का निपटारा उसके पक्ष में हो गया था, इसलिए उससे संबंधित धनवापसी दावा स्वीकार किया जाना चाहिए था; कि प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों में परिसीमा से संबंधित प्रासंगिक उपबंध लागू नहीं किए जा सकते थे; तथा यह

कि चूँकि शुल्क की अंतर राशि का भुगतान माल के निकास के काफी समय बाद किया गया था, इसलिए नियम 233बी के उपबंधों का कठोरतापूर्वक पालन करना उसके लिए संभव नहीं था।

राजस्व विभाग की ओर से यह प्रस्तुत किया गया कि चूँकि नियम 233बी के उपबंधों का पालन नहीं किया गया था, इसलिए निर्धारिती द्वारा कोई विधिसम्मत विरोध नहीं किया गया था और इस कारण धनवापसी का दावा संधारणीय नहीं था; तथा यह कि चूँकि धनवापसी का दावा शुल्क के भुगतान की तिथि से 6 माह के भीतर प्रस्तुत नहीं किया गया था, इसलिए वह प्रतिबंधित था।

अपील स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने

निर्णीत : 1.1. अधिकरण ने अपने इस दृष्टिकोण के समर्थन में केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियमों के नियम 233बी पर भरोसा किया कि किसी भुगतान को विरोध के साथ किया गया भुगतान मानने के लिए नियम 233बी में उल्लिखित शर्तों एवं परिस्थितियों का पालन किया जाना आवश्यक है, अन्यथा केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं नमक अधिनियम के अंतर्गत उसे विरोध के साथ किया गया भुगतान नहीं माना जा सकता। इसी तर्क के आधार पर अधिकरण ने अपीलकर्ताओं को धनवापसी देने से इंकार कर दिया। तथापि, धनवापसी अस्वीकार करने का एक और कारण भी था। अधिकरण के अनुसार शुल्क की अंतर राशि का भुगतान किसी मांग अथवा विधिक बाध्यता के परिणामस्वरूप नहीं किया गया था। [1123-ई-एफ]

1.2. नियम 233बी के अनुपालन को, उस समय प्रवृत्त धारा 11बी(1) के परंतुक की प्रयोज्यता के लिए पूर्वशर्त मानने संबंधी व्यापक प्रश्न पर निर्णय देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस वाद के तथ्यों के आधार पर अपीलकर्ता उस समय प्रवृत्त अधिनियम की धारा 11बी(3) के अनुसार धनवापसी प्राप्त करने के हकदार हैं। [1123-जी]

1.3. सहायक संग्राहक द्वारा पुनर्वर्गीकरण की मांग करते हुए जारी की गई कारण बताओ सूचना पूर्व में किए गए निकासों से संबंधित थी, और जब पुनर्वर्गीकरण विवाद में

अपीलकर्ता संग्राहक (अपील) के समक्ष सफल हो गए, तब वे अधिनियम की धारा 11बी(3) के अंतर्गत शुल्क की अंतर राशि की धनवापसी पाने के हकदार हो गए। अतः विभाग को निर्देश दिया जाता है कि वह 1.3.86 से 31.10.86 की अवधि के लिए शुल्क की अंतर राशि का भुगतान, भुगतान किए जाने की तिथि तक 9% वार्षिक ब्याज सहित, वापस करे। [1124-ए-डी]

दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार: 1996 का दीवानी अपील संख्या 9044

मद्रास स्थित केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क एवं स्वर्ण (नियंत्रण) अपीलीय अधिकरण की दक्षिण क्षेत्रीय पीठ द्वारा अपील संख्या ई/436/90/एमएएस में दिनांक 5.1.96 को पारित निर्णय एवं आदेश के विरुद्ध।

अपीलकर्ता के लिए जोसेफ वेल्लापल्ली, एस. इग्नेशियस, कृष्णन वेणुगोपाल, थॉमस वेल्लापल्ली तथा के. आर. नम्बियार

उत्तरदाता के लिए आर. पी. भट्ट, राजीव नंदा तथा बी. के. प्रसाद

न्यायालय का निर्णय निम्नलिखित द्वारा सुनाया गया

कापडिया, न्यायमूर्ति. 1. मद्रास स्थित सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं स्वर्ण (नियंत्रण) अपीलीय अधिकरण की दक्षिण क्षेत्रीय पीठ द्वारा अपील संख्या ई/436/90/एमएएस में दिनांक 5 जनवरी 1996 को दिए गए बहुमत निर्णय से व्यथित होकर मूल निर्धारिती ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं नमक अधिनियम, 1944 की धारा 35-एल के अंतर्गत यह अपील प्रस्तुत की है। विवादित निर्णय एवं आदेश द्वारा निर्धारिती का 13,18,184.88 रुपये की धनवापसी का दावा अस्वीकार कर दिया गया, जो 1.3.1986 से 31.10.1986 की अवधि के संबंध में 6 अप्रैल 1987 को अंतर शुल्क के रूप में अदा किया गया था। यह दावा इस आधार पर अस्वीकार किया गया कि उक्त भुगतान स्वेच्छा से तथा स्वयं प्रेरणा से किया गया था और कथित विरोध केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 233बी के अनुरूप नहीं था।

2. अपीलकर्ता मद्रास स्थित अपने कारखाने में “वल्कनीकरण घोल” का निर्माण करते हैं। 3 मार्च 1986 को अपीलकर्ताओं ने उप-शीर्ष 4006.90 के अंतर्गत 15% शुल्क दर दर्शाते हुए वर्गीकरण सूची प्रस्तुत की। उक्त सूची 10.7.86 को स्वीकृत कर दी गई। तदनुसार अपीलकर्ताओं ने 1.3.86 से 15% की दर से शुल्क का भुगतान किया। तथापि, 28.10.86 को सहायक संग्राहक ने अपीलकर्ताओं के कारखाने का निरीक्षण किया और उन्हें उक्त उत्पाद के लिए 40% मूल्याधारित शुल्क दर वाले उप-शीर्ष 4005.00 के अंतर्गत संशोधित वर्गीकरण सूची प्रस्तुत करने का निर्देश दिया तथा साथ ही 1.3.86 से 31.10.86 की पूर्व अवधि के लिए शुल्क की अंतर राशि का भुगतान करने का भी निर्देश दिया। 31.3.87 को विभाग ने कारण बताओ सूचना जारी करते हुए आरोप लगाया कि उक्त उत्पाद केंद्रीय उत्पाद शुल्क शुल्क-तालिका के उप-शीर्ष 4005 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाने योग्य है तथा अधिसूचना संख्या 377/86 द्वारा प्रदान की गई छूट भी उस पर लागू नहीं होती। सहायक संग्राहक द्वारा जारी इस कारण बताओ सूचना के माध्यम से अपीलकर्ताओं से यह बताने को कहा गया कि उनकी पूर्व निकासित वस्तुओं पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 11ए के अंतर्गत 40% मूल्याधारित दर से शुल्क की मांग क्यों न की जाए। 6.4.87 को अपीलकर्ताओं ने चालान पर यह उल्लेख करते हुए कि भुगतान विरोध के साथ किया जा रहा है, 13,18,184.88 रुपये की शुल्क अंतर राशि का भुगतान किया। इसके पश्चात 10.4.87 को अपीलकर्ताओं ने सहायक संग्राहक के समक्ष एक विरोध-पत्र प्रस्तुत किया। उक्त विरोध-पत्र में अपीलकर्ताओं ने दावा किया कि यह उत्पाद उप-शीर्ष 4005.00 के अंतर्गत, दिनांक 29.7.86 की अधिसूचना संख्या 377/86 के साथ पढ़े जाने पर, 15% की दर पर वर्गीकृत किया जाने योग्य है। इस कारण बताओ सूचना के परिणामस्वरूप सहायक संग्राहक ने 10.1.88 को निर्णयादेश पारित किया, जिसमें उन्होंने केवल 1.11.86 से 30.9.87 की अवधि के लिए 25,61,791.72 रुपये की मांग की पुष्टि की, क्योंकि अपीलकर्ता 6.4.87 को 13,18,184.88 रुपये पहले ही जमा कर चुके थे। इससे व्यथित होकर अपीलकर्ताओं ने संग्राहक (अपील) के

समक्ष अपील दायर की। दिनांक 30.6.88 के आदेश द्वारा संग्राहक (अपील) ने विवादित निर्णयादेश को निरस्त कर दिया और अपीलकर्ताओं की प्रार्थना के अनुसार 15% की दर से वर्गीकरण स्वीकार कर लिया। वर्गीकरण संबंधी विवाद अपीलकर्ताओं के पक्ष में समाप्त होने के बाद उन्होंने अदा किए गए उत्पाद शुल्क की वापसी के लिए 3 दावे प्रस्तुत किए। सहायक संग्राहक ने 1.11.86 से 30.9.87 की अवधि के लिए अदा की गई 25,61,792 रुपये की अंतर शुल्क राशि तथा 1.2.88 से 20.7.88 की अवधि के लिए 10,78,485.76 रुपये की अतिरिक्त राशि की वापसी की अनुमति दे दी, किन्तु 1.3.86 से 31.10.86 की अवधि के लिए 13,18,184.88 रुपये की धनवापसी का दावा इस आधार पर अस्वीकार कर दिया कि शुल्क का भुगतान केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 233 बी के अनुसार विरोध के साथ नहीं किया गया था। अपीलकर्ताओं द्वारा दायर अपीलों को संग्राहक (अपील) ने तथा केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं स्वर्ण (नियंत्रण) अपीलीय अधिकरण (संक्षेप में "सीईजीएटी") ने बहुमत के निर्णय द्वारा खारिज कर दिया। फलस्वरूप अपीलकर्ताओं ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35 एल के अंतर्गत यह अपील प्रस्तुत की है।

3. अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता श्री जोसेफ वेल्लापल्ली ने तर्क दिया कि अपीलकर्ता 31 अक्टूबर 1986 तक स्वीकृत मूल्य सूची के आधार पर 15% की दर से उत्पाद शुल्क का भुगतान कर रहे थे। तथापि, 28 अक्टूबर 1986 को सहायक संग्राहक द्वारा कारखाने के निरीक्षण के दौरान अपीलकर्ताओं को सूचित किया गया कि उन्हें 40% की दर से उत्पाद शुल्क का भुगतान करना होगा और तदनुसार उन्हें शुल्क की अंतर राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया गया। इसके पश्चात 31 मार्च 1987 को सहायक संग्राहक ने एक कारण बताओ सूचना जारी की, जिसमें अपीलकर्ताओं से यह बताने को कहा गया कि अधिसूचना संख्या 377/86 का लाभ अस्वीकार करते हुए पूर्व में किए गए सभी निकासों पर 40% की दर से शुल्क की मांग क्यों न की जाए। परिणामस्वरूप, निर्धारिती ने 31 मार्च 1987 की कारण बताओ सूचना द्वारा आरंभ की गई निर्णयन कार्यवाही के लंबित रहते हुए

6.4.87 को शुल्क राशि का भुगतान कर दिया। तदनुसार 1.3.86 से 31.10.86 की अवधि के लिए 13,18,184.88 रुपये की अंतर शुल्क राशि 6.4.87 को अदा की गई और उक्त भुगतान करते समय चालान पर यह उल्लेख किया गया कि भुगतान विरोध के साथ किया जा रहा है। आगे यह भी बताया गया कि 6.4.87 को विरोध के साथ भुगतान करने के बाद अपीलकर्ताओं ने 31 मार्च 1987 की कारण बताओ सूचना के उत्तर में सहायक संग्राहक को एक पत्र भी भेजा था। उक्त पत्र में अपीलकर्ताओं ने अपने विरोध के आधारों का उल्लेख किया था। अपीलकर्ताओं के अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया कि अंततः संग्राहक (अपील) के समक्ष अपीलकर्ताओं का पक्ष स्वीकार कर लिया गया और निर्णयन आदेश निरस्त कर दिया गया तथा यह स्वीकार किया गया कि उनके उत्पाद पर 15% मूल्याधारित दर से शुल्क लगाया जाना चाहिए। यह तर्क दिया गया कि जब विवाद का निपटारा अपीलकर्ताओं के पक्ष में हो गया, तब संबंधित अवधि के लिए उनके धनवापसी दावे को 6 माह की परिसीमा लागू किए बिना स्वीकार किया जाना चाहिए था, क्योंकि शुल्क का भुगतान विरोध के साथ किया गया था। यह भी तर्क दिया गया कि इस प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों में नियम 233 बी लागू नहीं होता, क्योंकि उक्त नियम यह अपेक्षा करता है कि यदि निर्धारिती शुल्क का भुगतान विरोध के साथ करना चाहता है तो वह सक्षम प्राधिकारी को एक पत्र देगा जिसमें विरोध के साथ भुगतान करने के कारण बताए जाएंगे, और एक बार उस पत्र की प्राप्ति स्वीकार कर ली जाए तो वह इस बात का प्रमाण बन जाता है कि निर्धारिती ने शुल्क का भुगतान विरोध के साथ किया है। यह भी तर्क दिया गया कि यद्यपि नियम 233 बी(3) का अनुपालन उप-नियम (4) के पालन पर निर्भर करता है, जिसमें द्वार-पत्रों और आरटी-12 प्रपत्रों की प्रतियों पर “विरोध के साथ भुगतान” का उल्लेख करना आवश्यक है, किन्तु इस प्रकरण में ऐसा उल्लेख किया जाना संभव नहीं था क्योंकि अंतर शुल्क राशि का भुगतान माल के निकास के काफी समय बाद किया गया था। अपीलकर्ताओं की ओर से आगे यह भी कहा गया कि नियम 233 बी का पर्याप्त अनुपालन किया गया था, क्योंकि शुल्क का भुगतान

विरोध के साथ चालान पर उल्लेख करके किया गया था। उन्होंने यह भी कहा कि अपीलकर्ताओं ने शुल्क का भुगतान तब किया जब सहायक संग्राहक ने उन्हें सूचित किया कि वस्तुओं का वर्गीकरण स्वीकृत वर्गीकरण सूची से भिन्न प्रकार से किया जाना आवश्यक है। अतः उनका तर्क था कि अधिकरण ने यह निष्कर्ष निकालकर त्रुटि की कि विरोध केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियमों के नियम 233 बी के अनुरूप नहीं था।

4. *इसके विपरीत,* विभाग की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता श्री आर. पी. भट्ट ने तर्क दिया कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 11 बी(1) के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो किसी उत्पाद शुल्क की धनवापसी का दावा करता है, वह प्रासंगिक तिथि से 6 माह की अवधि समाप्त होने से पूर्व केंद्रीय उत्पाद शुल्क के सहायक संग्राहक के समक्ष धनवापसी के लिए आवेदन कर सकता है। उन्होंने कहा कि धारा 11 बी(1) के परंतुक में एक अपवाद प्रदान किया गया है, जिसके अनुसार यदि कोई शुल्क विरोध के साथ अदा किया गया हो तो 6 माह की परिसीमा लागू नहीं होगी। विभाग के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि वर्तमान मामले में अपीलकर्ता धारा 11 बी(1) के इसी परंतुक का लाभ लेना चाहता है। उन्होंने कहा कि स्वयं अपीलकर्ता के कथन के अनुसार उसने 1.3.86 से 31.10.86 की अवधि के लिए अंतर शुल्क की धनवापसी हेतु 10 अगस्त 1988 को आवेदन प्रस्तुत किया, जो कथित रूप से नियम 233 बी का अनुपालन करने के उद्देश्य से किया गया था। उन्होंने तर्क दिया कि इस मामले में अपीलकर्ताओं द्वारा नियम 233 बी का पालन नहीं किया गया, क्योंकि भुगतान 1.3.86 से 31.10.86 की अवधि के लिए 6.4.87 को किया गया था, जबकि नियम 233 बी यह अपेक्षा करता था कि शुल्क का भुगतान विरोध-पत्र द्वारा पूर्ववर्ती होना चाहिए। यह इंगित किया गया कि वर्तमान मामले में भुगतान 6 अप्रैल 1987 को किया गया और उससे पूर्व कोई विरोध-पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया था। इसके विपरीत, विरोध-पत्र 6.4.87 को भुगतान किए जाने के बाद प्रस्तुत किया गया, अतः नियम 233 बी(1) का पालन नहीं हुआ। भुगतान की तिथि पर कोई विरोध अस्तित्व में नहीं था। विभाग की ओर से यह भी तर्क

दिया गया कि नियम 233 बी(4) के अनुसार विरोध के साथ अदा किए गए शुल्क का उल्लेख द्वार-पत्रों की प्रतियों तथा आरटी-12 विवरणियों पर किया जाना आवश्यक है। वर्तमान मामले में चूँकि निकास पहले ही किए जा चुके थे, इसलिए द्वार-पत्रों तथा आरटी-12 विवरणियों पर ऐसा उल्लेख किए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता था और इस प्रकार नियम 233 बी(4) का अनुपालन नहीं हुआ। यह भी कहा गया कि नियम 233 बी(4) के अनुपालन के अभाव में नियम 233 बी(8) में वर्णित परिणाम लागू होगा, अर्थात् कोई वैध विरोध अस्तित्व में नहीं माना जाएगा। यह तर्क दिया गया कि विरोध के साथ शुल्क का भुगतान केवल नियम 233 बी के अनुसार ही किया जाना आवश्यक था, ताकि निर्धारिती को प्रत्येक निकास के संबंध में पृथक-पृथक धनवापसी दावे प्रस्तुत न करने पड़ें और उस नियम के अंतर्गत किया गया विरोध उसे प्रत्येक निकास के लिए धनवापसी आवेदन प्रस्तुत करने के दायित्व से मुक्त कर दे। यह भी कहा गया कि नियम 233 बी(4) प्रक्रिया संबंधी होने के साथ-साथ अनिवार्य भी था तथा वह विरोध के साथ भुगतान के अन्य सभी रूपों को, नियम में निर्दिष्ट रूप को छोड़कर, बाहर कर देता था। विभाग की ओर से यह भी तर्क दिया गया कि वर्तमान मामले में विभाग द्वारा 1.3.86 से 31.10.86 की अवधि के लिए अंतर शुल्क के भुगतान की कोई मांग नहीं की गई थी। निर्धारिती ने अतीत में 1.3.86 से 31.10.86 की अवधि के दौरान निकासित उत्पादों के संबंध में 6.4.87 को स्वयंप्रेरणा से भुगतान किया था। विभाग के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ता-निर्धारिती का दावा प्रतिबंधित था, क्योंकि वह भुगतान की तिथि से 6 माह के भीतर प्रस्तुत नहीं किया गया था। इसी कारण अपीलकर्ता ने धारा 11 बी(1) के परंतुक का सहारा लिया, जबकि वह परंतुक तभी लागू हो सकता है जब अपीलकर्ता नियम 233 बी के उपबंधों का पालन सिद्ध करे। आगे यह तर्क दिया गया कि उक्त नियम केवल समकालीन तथा भावी निकासों पर लागू होता है, पूर्व में किए गए निकासों पर नहीं। इसलिए नियम 233 बी वर्तमान मामले में लागू नहीं था और इसी कारण सहायक संग्राहक द्वारा अपीलकर्ता के दावे को असंधारणीयमानकर अस्वीकार करना विधिसंगत

था।

5. प्रत्युत्तर में अपीलकर्ताओं के अधिवक्ता ने एक वैकल्पिक तर्क प्रस्तुत किया, जो हमारे विचार में स्वीकार किए जाने योग्य है। यह तर्क दिया गया कि अंततः वर्गीकरण संबंधी विवाद में अपीलकर्ता-निर्धारिती सफल रहा और अपीलीय प्राधिकारी ने अपीलकर्ता के पक्ष को स्वीकार कर लिया तथा अपीलकर्ता के कथन के अनुरूप 15% की दर से शुल्क निर्धारित किया गया। यह तर्क दिया गया कि ऐसी परिस्थितियों में अपीलकर्ता-निर्धारिती वर्गीकरण विवाद उत्पन्न होने के पश्चात अदा किए गए शुल्क की धनवापसी प्राप्त करने का अधिकारी था।

6. दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि अधिनियम की धारा 11बी(1) के परंतुक की प्रयोज्यता के लिए नियम 233बी का अनुपालन उन मामलों में आवश्यक नहीं है जो केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं नमक अधिनियम, 1944 की धारा 11बी(3) के अंतर्गत आते हैं। ऐसे मामलों में सहायक संग्राहक का यह दायित्व होता है कि वह अधिनियम के अंतर्गत अपील या पुनरीक्षण में पारित आदेशों को प्रभावी बनाए और उनके अनुरूप उस उत्पाद शुल्क की धनवापसी प्रदान करे जो आवेदक को देय एवं भुगतान योग्य हो जाती है, और इसके लिए आवेदक को पृथक रूप से कोई दावा प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होती।

7. सामान्यतः इस मामले में निम्नलिखित दो प्रश्नों का निर्धारण किया जाना अपेक्षित होता—क्या इस मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में अधिकरण यह निर्णय देने में न्यायोचित था कि 13,18,184.88 रुपये की अंतर शुल्क राशि का भुगतान "विरोध के साथ किया गया भुगतान" नहीं माना जा सकता और इसलिए अधिनियम की धारा 11बी के अंतर्गत लागू काल-सीमा के कारण धनवापसी स्वीकार्य नहीं थी; तथा क्या इस मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में अधिकरण यह मानने में सही था कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 233बी का अनुपालन केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं नमक अधिनियम, 1944 की

धारा 11बी(1) के परंतुक (जैसा कि वह प्रासंगिक समय पर प्रवृत्त था) की प्रयोज्यता के लिए एक पूर्वशर्त था?

8. उपरोक्त दोनों प्रश्न परस्पर संबद्ध हैं और उनका सीधा संबंध इस मूल प्रश्न से है कि क्या शुल्क का भुगतान विरोध के साथ किया गया था। वर्तमान मामले में अधिकरण ने अपने इस दृष्टिकोण के समर्थन में नियम 233बी पर भरोसा किया कि किसी भुगतान को विरोध के साथ किया गया भुगतान मानने के लिए नियम 233बी में वर्णित शर्तों एवं परिस्थितियों का पालन किया जाना आवश्यक है; अन्यथा अधिनियम के अंतर्गत उसे विरोध के साथ किया गया भुगतान नहीं माना जा सकता। इसी तर्क के आधार पर अधिकरण ने अपीलकर्ताओं को धनवापसी देने से इंकार कर दिया। तथापि, धनवापसी अस्वीकार करने का एक अन्य कारण भी था। अधिकरण के अनुसार शुल्क की अंतर राशि का भुगतान किसी मांग अथवा विधिक बाध्यता के परिणामस्वरूप नहीं किया गया था।

9. हमारे विचार में नियम 233बी के अनुपालन को धारा 11बी(1) के परंतुक की प्रयोज्यता के लिए पूर्वशर्त मानने से संबंधित व्यापक प्रश्न पर विचार करना आवश्यक नहीं है, क्योंकि इस मामले के तथ्यों के आधार पर अपीलकर्ता धारा 11बी(3) के अनुसार धनवापसी प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

जो इस प्रकार हैः-

"(3). जहाँ इस अधिनियम के अंतर्गत अपील या पुनरीक्षण में पारित किसी आदेश के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति को किसी उत्पाद शुल्क की धनवापसी देय हो जाती है, वहाँ केंद्रीय उत्पाद शुल्क का सहायक संग्राहक उस व्यक्ति को उक्त राशि, उसके द्वारा इस संबंध में कोई दावा किए बिना ही, वापस कर सकता है।"

10. वर्तमान मामले में सहायक संग्राहक द्वारा पुनर्वर्गीकरण की मांग करते हुए जारी की गई कारण बताओ सूचना पूर्व में किए गए निकासों से संबंधित थी, और जब अपीलकर्ता 30 जून 1988 को संग्राहक (अपील) के समक्ष पुनर्वर्गीकरण संबंधी विवाद में सफल हो गए,

तब वे अधिनियम की धारा 11बी(3) के अंतर्गत 13,18,184.88 रुपये की अंतर शुल्क राशि की धनवापसी प्राप्त करने के अधिकारी हो गए।

यह विवादित नहीं है कि धारा 11बी(3) के अंतर्गत आने वाले मामले उस परिणामी राहत से संबंधित होते हैं जिसके लिए कोई निर्धारिती अपील या पुनरीक्षण में सफल होने पर हकदार हो जाता है। वर्तमान मामले में अपीलकर्ता 30 जून 1988 को संग्राहक (अपील) के समक्ष सफल हुए थे और परिणामस्वरूप वे केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं नमक अधिनियम, 1944 की धारा 11बी(3) के अंतर्गत धनवापसी प्राप्त करने के अधिकारी हो गए। अतः इस मामले के तथ्यों में हमें इस प्रकरण से उत्पन्न उपर्युक्त व्यापक विधिक प्रश्न की जांच करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अपीलकर्ता उक्त 1944 के अधिनियम की धारा 11बी(3) के अंतर्गत राहत प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

11. इन परिस्थितियों में, दीवानी अपील संख्या 9044 वर्ष 1996 स्वीकार की जाती है तथा अपील संख्या ई/436/90/एमएएस में केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं स्वर्ण (नियंत्रण) अपीलीय अधिकरण द्वारा दिनांक 5.1.1996 को पारित निर्णय एवं आदेश को निरस्त किया जाता है। साथ ही विभाग को निर्देश दिया जाता है कि वह 1.3.86 से 31.10.86 की अवधि के लिए 13,18,184.88 रुपये की अंतर शुल्क राशि, सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस निर्णय की प्रति प्राप्त किए जाने की तिथि से वास्तविक भुगतान की तिथि तक 9% वार्षिक ब्याज सहित, वापस करे।

हालांकि इस मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, व्यय के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया जाता।

एस.के.एस. अपील स्वीकार की गई।

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।